E Learning Study Material
By Prof YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE ARA
VKS UNIVERSITY ARA BIHAR

BA Part TWO Economics Hons
Paper Third

Important Provisions under Industrial Policy 1991 of India

The new industrial Policy seeks to limit the role of public Sector and encourage private Sectors participation over a wider field of industry. With this view, the following changes were made in the policy regarding public Sector Industries.

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण में कमी की गयी - 1956 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 17 उद्योगों में से 9 उद्योगों को नई नीति ने आरक्षित कर दिया इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की सीमा केवल 8 उद्योगों तक ही रह गयी। जो बाद में मात्र चार औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित है,

जो हैं- (i) रक्षा उत्पादन (ii) परमाणु ऊर्जा (iii) रेलवे ~~और (iv) खनिज~~ और (iv) खनिज परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

(ii) घाटे में चल रहे उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास_

सार्वजनिक क्षेत्र के वैसे उद्योग जो लम्बे समय से बीमार हैं और लगातार घाटे में चल रहे हैं उनके पुनर्निर्माण के उद्देश्य से स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) या इसी तरह के अन्य उच्चस्तरीय संस्थानों को सौंपा जायगा जो ऐसी औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास और पुनर्उद्धार के लिए योजनाएं तैयार करेंगी।

(iii) चयनित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश—

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अगस्त 1996 में एक विनिवेश आयोग की स्थापना की जो विनिवेश के तौर-तरीको पर विचार करता है। विनिवेश आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार सार्वजनिक उद्यम के शेयरों को बेचती है।

(iv) सार्वजनिक उद्यमों को अधिक स्वायत्तता :-

नई औद्योगिक नीति अपने दैनिक कामकाज में सार्वजनिक उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देना चाहती है। स्वायत्तता और जवाबदेही के मिलाप के माध्यम से सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार पर ~~[illegible]~~ भरोसा किया जायगा।